270

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग–4
संख्या– /XXVIII-4-2015-72(9)/2013
देहरादून : दिनांक 16 फरवरी, 2015

## शुद्धि–पत्र

राजकीय चिकित्सा संस्थानों/औषधालयों में चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए प्रख्यापित उपकरण कय नीति सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–37/XXVIII-4-2015-72(9)/2014, दिनांक 08.01.2015 के द्वारा नवीन उपकरण कय नीति निर्गत की गयी थी, जिसके बिन्दु संख्या–3 (क) में अंकित किया गया है "प्रथम श्रेणी उन अत्याधुनिक उपकरणों की होगी, जिनकी प्रति नग लागत रू0 3.00 लाख या उससे अधिक होगी जिसके लिए आई0एस0ओ0 9000 सिरीज व सी0ई0 सर्टिफिकेट एवं यू0एस0एफ0डी0ए0 अथवा समकक्ष ए0ई0आर0बी0 का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।"

2– उक्त प्रस्तर–3(क) में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

"प्रथम श्रेणी उन अत्याधुनिक उपकरणों की होगी, जिनकी प्रति नग लागत रू0 3.00 लाख या उससे अधिक होगी जिसके लिए आई0एस0ओ0 9000 सिरीज व सी0ई0 सर्टिफिकेट अथवा यू0एस0एफ0डी0ए0 तथा एक्स–रे से सम्बन्धित उपकरणों हेतु ए0ई0आर0बी0 का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।"

3– उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08.01.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है, शेष अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 271 (1)XXVIII-4-2015-72(9)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
11. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
12. समस्त चिकित्साधिकारी,
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को सामान्य गजट में प्रकाशित करने एवं 200 प्रति उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
15. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

संख्या– /XXVIII-4-2015-72(9)/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 08 जनवरी, 2015

विषय– राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिये उपकरण क्रय नीति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में राज्य में स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों/औषधालयों में चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए प्रख्यापित उपकरण क्रय नीति शासनादेश संख्या–1271 /XXVIII-5-2008-122/2002, दिनांक 22.10.2009 एवं कार्यालप ज्ञाप संख्या–1317/ XXVIII-5-2009-122/2002, दिनांक 03.11.2009 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–655/ XXVIII-5-2008-122/2002, दिनांक 28.05.2010 सामयिक नहीं रह गयी है।

2– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली–2008 के अनुक्रम में राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए उपकरणों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन क्रय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उपकरणों की आपूर्ति हेतु निविदादात्री फर्म का सम्बन्धित राज्य के उद्योग विभाग में पंजीकरण आवश्यक होगा।
2. आपूर्तिकर्ता फर्म का वर्तमान में सम्बन्धित राज्य के व्यापार कर/वाणिज्य कर विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा व्यापार कर/वाणिज्य कर जमा किये जाने का नवीनतम प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा उत्पादित उपकरणों की आपूर्ति करने तथा उपकरणों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया जायेगा, जिन उपकरणों का क्रय किया जाना है उनके तकनीकी स्पेसीफिकेशन विस्तृत रूप से तकनीकी विशेषज्ञ/विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किये जायेगें तथा उसके आधार पर ही निविदायें आमंत्रित की जायेगी।

महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा :–

(क) प्रथम श्रेणी उन अत्याधुनिक उपकरणों की होगी, जिनकी प्रति नग लागत रू0 3.00 लाख या उससे अधिक होगी जिसके लिए आई0एस0ओ0 9000 सिरीज व सी0ई0 सर्टिफिकेट एवं यू0एस0एफ0डी0ए0 अथवा समकक्ष ए0ई0आर0बी0 का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

रहती है तो भविष्य में ऐसी फर्मो से उपकरण क्रय नहीं किया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त करने पर भी कार्यवाही की जायेगी।

10. निविदादात्री फर्म अगर मानक के अनुसार उपकरणों की गुणवत्ता न होने के कारण दण्डित हुयी हो तो ऐसी फर्म से उपकरणों का क्रय नहीं किया जाए। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय–प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य किसी अपराध में दण्डित हुयी हो तो तब भी फर्म से उपकरणों का क्रय नहीं किया जाए।
11. निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उसके शुल्क आदि का निर्धारण वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए विशद प्रचार–प्रसार किया जाय तथा निविदा देने की तिथि को ही निविदा में उल्लिखित शर्तें यथा स्पेशीफिकेशन, पंजीकरण शुल्क आदि का पूर्ण रूप सें समावेश होना चाहिए।
12. मात्रा अनुबन्ध व दर अनुबन्ध की शर्तें समान होगी।
13. धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय ई–टैण्डर के माध्यम से किया जायेगा। रू0 5.00 लाख के उपकरणों के क्रय हेतु निविदा बॉक्स महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। Techical तथा financial bid प्रत्येक फर्म द्वारा दो अलग–अलग लिफाफों में दिये जायेंगे। Earnest Money Techincal bid के साथ जमा करनी होगी।
14. निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली–2008 के अध्याय–2 के प्रस्तर 20 (1 से 3) में निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।
15. संविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जमा की गयी कुल अर्नेष्ट मनी/कार्यपूर्ति धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. स्पेशल कंडीशन ऑफ कांट्रेक्ट की सम्मिलित शर्तों को जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रेक्ट से वरीयता दी जायेगी।
17. मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत उपकरण की मात्रा में 50% तक कमी या वृद्धि की जा सकती है। इससे अधिक की मात्रा बढ़ाये जाने की स्थिति में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
18. चिकित्सालयों में जहां उपकरण स्थापित किया जायेगा, उसके लिये एक परफारमेंस लॉग बुक एवं रिपेयर्स लाग बुक रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें मशीन/उपकरण के परफारमेंस ब्रेक डाउन आदि का समावेश होगा, जिसका समय–समय पर परीक्षण तथा अनुश्रवण विभिन्न अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
19. उपकरण की आपूर्ति करने वाली फर्म को 80% धनराशि का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में तथा अवशेष 20% धनराशि का भुगतान उपकरण के स्थापित होने तथा

रहती है तो भविष्य में ऐसी फर्मो से उपकरण क्रय नहीं किया जायेगा एवं धरोहर राशि जब्त करने पर भी कार्यवाही की जायेगी।

10. निविदादात्री फर्म अगर मानक के अनुसार उपकरणों की गुणवत्ता न होने के कारण दण्डित हुयी हो तो ऐसी फर्म से उपकरणों का क्रय नहीं किया जाए। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय–प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष में ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य किसी अपराध में दण्डित हुयी हो तो तब भी फर्म से उपकरणों का क्रय नहीं किया जाए।

11. निविदा प्रपत्र का प्रारूप एवं उसके शुल्क आदि का निर्धारण वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए विशद प्रचार–प्रसार किया जाय तथा निविदा देने की तिथि को ही निविदा में उल्लिखित शर्तें यथा स्पेशीफिकेशन, पंजीकरण शुल्क आदि का पूर्ण रूप सें समावेश होना चाहिए।

12. मात्रा अनुबन्ध व दर अनुबन्ध की शर्तें समान होगी।

13. धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय ई–टैण्डर के माध्यम से किया जायेगा। रू0 5.00 लाख के उपकरणों के क्रय हेतु निविदा बॉक्स महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। Techical तथा financial bid प्रत्येक फर्म द्वारा दो अलग–अलग लिफाफों में दिये जायेंगे। Earnest Money Techincal bid के साथ जमा करनी होगी।

14. निविदा प्रतिभूति अथवा धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली–2008 के अध्याय–2 के प्रस्तर 20 (1 से 3) में निर्धारित प्रक्रियानुसार की जायेगी।

15. संविदा में उल्लिखित किसी शर्त के अपूर्ण अथवा उसका उल्लंघन होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा जमा की गयी कुल अर्नेष्ट मनी/कार्यपूर्ति धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

16. स्पेशल कंडीशन ऑफ कांट्रेक्ट की सम्मिलित शर्तों को जनरल कंडीशन ऑफ कांट्रेक्ट से वरीयता दी जायेगी।

17. मात्रानुबन्ध के अन्तर्गत उपकरण की मात्रा में 50% तक कमी या वृद्धि की जा सकती है। इससे अधिक की मात्रा बढ़ाये जाने की स्थिति में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

18. चिकित्सालयों में जहां उपकरण स्थापित किया जायेगा, उसके लिये एक परफारमेंस लॉग बुक एवं रिपेयर्स लाग बुक रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी, जिसमें मशीन/उपकरण के परफारमेंस ब्रेक डाउन आदि का समावेश होगा, जिसका समय–समय पर परीक्षण तथा अनुश्रवण विभिन्न अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

19. उपकरण की आपूर्ति करने वाली फर्म को 80% धनराशि का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में तथा अवशेष 20% धनराशि का भुगतान उपकरण के स्थापित होने तथा

क्रियाशील होने पर संबंधित सक्षम अधिकारी के प्रमाण–पत्र के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

20. उपकरण को क्रय करते समय आवश्यक सर्विस मैनुअल, आपरेशन मैनुअल, सर्किट डायग्राम व अन्य प्रकार के अभिलेख के साथ ही प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा, जहां पर मशीन स्थापित की जा रही है साथ ही मशीन के चालू होने की सूचना महानिदेशक/निदेशक (भण्डार)/शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

21. उत्तराखण्ड की लघु कुटीर उद्योग/खादी/सूक्ष्म उद्यम को क्रय/मूल्य वरीयता 10% (कर रहित दस प्रतिशत) से अधिक नहीं दी जा सकेगी, जिसमें समय–समय पर उद्योग विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अधीन होगी।

22. प्रदेश के चिकित्सालयों हेतु उपकरण क्रय किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे चिकित्सालय, जिसमें उपकरण स्थापित किया जाना है, उस चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक/मुख्य चिकित्साधीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को उपलब्ध कराया जायेगा कि वास्तविक रूप में ऐसे उपकरण की आवश्यकता उस चिकित्सालय में अपेक्षित है तथा तत्सम्बन्धी उपकरण को संचालित किये जाने हेतु उनमें आवश्यक चिकित्सा/पैरामेडिकल स्टॉफ उपलब्ध हैं।

23. उपकरणों का प्रदर्शन तकनीकी भावपत्र का भाग होगा अर्थात प्रदर्शन में अर्ह पाये जाने पर ही फर्म को तकनीकी रूप से सफल घोषित किया जायेगा।

24. **उपकरणों के क्रय हेतु केन्द्रीय क्रय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तराखण्ड । | अध्यक्ष |
| 2. | वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि । | सदस्य |
| 3. | चिकित्सा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि । | सदस्य |
| 4. | उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि । | सदस्य |
| 5. | अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 6. | वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 7. | मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, दून चिकित्सालय देहरादून । | सदस्य |
| 8. | अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (भण्डार) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। | सदस्य/सचिव |
| 9. | महानिदेशक द्वारा नामित विशेषज्ञ ( ई–प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र से अथवा एन.आई.सी. विशेषज्ञ) | सदस्य |

25. **उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी मानक एवं विशिष्ट निर्धारण समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत् होगा :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड । | अध्यक्ष |
| 2. | बायोमेडिकल इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। | सदस्य/संयोजक |
| 3. | महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ। | सदस्य |
| 4. | महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा नामित प्रदेश के ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ। | सदस्य |

26. **उपकरणों के क्रय हेतु प्रदर्शन समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत् होगा :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संयुक्त निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। | अध्यक्ष |
| 2. | महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा नामित उपकरणों के प्रयोग से सम्बन्धित चिकित्सकीय विषय विशेषज्ञ। | सदस्य |
| 3. | महानिदेशक द्वारा नामित विशेषज्ञ (बायोमेडिकल इंजीनियर)। | सदस्य |

27. उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त मार्केट सर्वे समिति का गठन भी निम्नवत् किया जाता है, जो उपकरण क्रय से पूर्व अपनी रिपोर्ट तकनीकी मानक एवं विशिष्ट निर्धारण समिति को प्रस्तुत करेगी :–

**उपकरणों के क्रय हेतु मार्केट सर्वे समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत् होगा :–**

| | |
|---|---|
| 1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड। | अध्यक्ष |
| 2. वित्त अधिकारी, चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 3. संयुक्त निदेशक (भण्डार), महानिदेशालय, उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा नामित उपकरणों के प्रयोग से सम्बन्धित चिकित्सकीय विशेषज्ञ। | सदस्य |
| 5. महानिदेशक द्वारा नामित बायोमेडिकल इंजीनियर। | सदस्य |

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1126/XXVII(7)/2015 दिनांक 08.01.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

**संख्या– 37– (1)XXVIII-4-2015-72(9)/2014, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
11. समस्त चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
13. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को सामान्य गजट में प्रकाशित करने एवं 200 प्रति उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
14. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।